प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तराचंल शासन।

संख्या– 17 प0अ0/2003-311 पर्य/2003

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादून:दिनांक 16 जनवरी 2004

विषय–पर्यटक स्थलों के यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत यात्रा मार्गो पर पर्यटक सुविधा/ पर्यटक सूचना केन्द्रों के निर्माण हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– 358/2–6–215/मार्गीय सुविधा/2003–04 दिनॉक 7 नवम्बर, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्यटक स्थलों के यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत यात्रा मार्गो/ पर्यटक स्थलों के निम्नलिखित स्थलों पर पर्यटक सुविधा/ पर्यटक सूचना केन्द्रों के निर्माण हेतु रू0 270.21 लाख के आगणनों के सापेक्ष्य टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 215.34 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 में संलग्नक के कॉलम–5 के विवरणानुसार रू0 140.00 लाख (रूपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि को डिपॉजिट के रूप में कय करने हेतु आहरित कर व्यय करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यय मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को, जो दरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्ररम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9– आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10– निर्माण सामाग्री के प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

12– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी /अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

13– कार्यो की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एव उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनॉक 31–3–2004 तक प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दूसरी किश्त जिन कार्यो पर अवशेष हो, अवमुक्त की जायेगी।

14– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सैक्टर–22–पर्यटक स्थलों के यात्रा मार्गो पर आधारभूत सुविधाओं का विकास/निर्माण–24–वृहद्ध निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

15– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–2524/वि0अनु0–3/2004 दिनॉक 21 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– प0अ0/2003–311 पर्य/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3– निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारीगण, कुमायूँ क्षेत्र।
6– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कुमायूँ क्षेत्र।
7– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
9– प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
10– वित्त अनुभाग–3।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

संख्या– 17 –प0310/2003-311 पर्य0/2003 दिनांक 10 जनवरी, 2004 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

कमसं0	योजना का नाम	आगणन की राशि	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन की लागत	वर्ष 2003–04 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1–	पर्यटक सुविधा रामगढ नैनीताल	12.10	9.58	5.00
2–	पर्यटक सुविधा आम पड़ाव नैनीताल	12.25	9.71	4.00
3–	पर्यटक सुविधा घटगढ़ नैनीताल	12.35	9.80	4.00
4–	पर्यटक सुविधा काकड़ीघाट नैनीताल	12.75	10.14	5.00
5–	पर्यटक सुविधा ढिकुली नैनीताल	12.55	9.87	9.87
6–	पर्यटक सुविधा मजखाली अल्मोड़ा	14.38	11.72	11.72
7–	पर्यटक सुविधा द्वाराहाट अल्मोड़ा	14.44	11.74	11.74
8–	पर्यटक सुविधा चौखुटिया अल्मोड़ा	14.11	10.44	10.44
9–	पर्यटक सुविधा कौसानी अल्मोड़ा	13.10	10.96	10.96
10–	पर्यटक सुविधा ढोलीगॉव पिथौरागढ	14.28	11.61	11.61
11–	पर्यटक सुविधा सतगढ़ पिथौरागढ	14.79	12.04	12.04
12–	पर्यटक सुविधा डीडीहाट पिथौरागढ	13.97	11.17	5.00
13–	पर्यटक सुविधा फटगली बागेश्वर	13.56	10.83	5.00
14–	पर्यटक सुविधा घिघारतोला बागेश्वर	13.51	10.79	5.00
15–	पर्यटक सुविधा विजयपुर बागेश्वर	13.56	10.83	4.62
16–	पर्यटक सुविधा धूनाघाट चम्पावत	13.26	10.55	5.00
17–	पर्यटक सुविधा चम्पावत	12.96	10.32	5.00
18–	पर्यटक सुविधा जसपुर उधमसिंहनगर	12.25	9.72	4.00
19–	पर्यटक सुविधा केन्द्र फूलभट्टा	12.15	9.62	4.00
20–	पर्यटक सुविधा केन्द्र सितारगंज	12.35	9.79	4.00
21–	पर्यटक सुविधा बनलेख चम्पावत	5.54	4.11	2.00
	योग	270.21	215.34	140.00

(रू0 एक करोड चालीस लाख मात्र)

(एन0एन0प्रसाद)
सचिव